

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र प्रारूप सत्र 2020-21

1. विद्यार्थी का नाम पिता का नाम
2. जाति वर्ग (ST/SC) छ.ग. का मूल निवासी (हाँ/नहीं)
(छ.ग. का स्थायी जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
3. उत्तीर्ण की गई कक्षा (10वीं/12वीं) बोर्ड का नाम (CGBSE) वर्ष
4. अंक सूची में Roll No./Unique ID बोर्ड की सूची में मेरिट क्रं.
(अंक सूची की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
5. मोबाईल नंबर बैंक का नाम
6. बैंक का IFSC कोड बैंक खाता क्रं
7. (पास बुक में खाता क्रं पृष्ठ की स्पष्ट व स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
8. वर्तमान में अध्ययनरत शाला/महाविद्यालयीन संस्था का नाम व पता

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ, कि उपरोक्त बिंदुवार दी गई जानकारी सही है। योजना के तहत पात्रता की शर्तों के अनुसार छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाणपत्र, छ.ग. का मूलनिवासी प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक में खाता क्रमांक की जानकारी के मुखपृष्ठ की स्वप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति संलग्न है, तथा मैं शाला/महाविद्यालयीन संस्था में अध्ययनरत हूँ (महाविद्यालय/महाविद्यालयीन संस्था में अध्ययन के प्रमाण हेतु संस्था में प्रवेश हेतु जमा की गई शुल्क की रसीद की छाया प्रति संलग्न है)। योजना के लक्ष्य की सीमा में पात्रता होने पर ही मुझे प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा ।

विद्यार्थी का हस्ताक्षर

कक्षा 10वीं की स्थिति में वर्तमान में अध्ययनरत शाला प्राचार्य व 12वीं की स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है, कि विद्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया गया है। दी गई जानकारी सत्य है।

हस्ताक्षर प्राचार्य/संस्था प्रमुख एवं सील

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी.....

उपरोक्तानुसार पात्र विद्यार्थी का आवेदन भुगतान की कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर एवं सील
जिला शिक्षा अधिकारी

आवश्यक सूचना -

1. पूर्ण भरे गये आवेदन व वर्तमान में अध्ययनरत शाला प्राचार्य/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण के साथ आवेदन निर्धारित समय सीमा में संबंधित शाला में जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. योजना के तहत दी जाने वाली राशि कोई छात्रवृत्ति नहीं है, यह मात्र प्रोत्साहन राशि है।
3. लक्ष्य की सीमा में मेरिट में स्थान रखने वाले विद्यार्थियों से निर्धारित समय में आवेदन प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण आवेदन होने पर मेरिट के अगले विद्यार्थियों के आवेदन पर विचार किया जावेगा । योजना का लक्ष्य इस प्रकार है-

| क्रं | वर्ग | छ.ग.मा.शि.मं. | | महायोग |
|------|------|---------------|-------|--------|
| | | 10वीं | 12वीं | |
| 1 | ST | 336 | 336 | 672 |
| 2 | SC | 144 | 144 | 288 |
| योग | | 480 | 480 | 960 |

4. योजना की जानकारी, कक्षावार/वर्गवार/बोर्डवार मेरिट सूची, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा <https://chikaha.org.in> तथा